Com

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद के मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थों के 18 अतिरिक्त पदों के चयन हेतु विज्ञापन, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-2389/एसएलएसए-83/2025 (सन्दीप/ऋ) दिनांक 30 जुलाई, 2025 के अनुक्रम में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रेणीवार निर्धारित संख्या में मध्यस्थों के पदों को भरने हेतु जारी किया गया है।

उ०प्र० सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, 2021 के प्रस्तर 3(1) के अंतर्गत मध्यस्थों के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्रता निम्नलिखित है-

(क) ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
(ख) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
(ग) ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

इसके अतिरिक्त प्रस्तार 5 में यह व्यवस्था दी गयी है;
निम्नलिखित व्यक्ति, मध्यस्थों के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे-

1. ऐसा व्यक्ति, जो दिवालिया घोषित किया गया हो या विकृतचित्त घोषित हो।
2. ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत हुआ हो।
3. ऐसा व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए दोषसिद्ध हो।
4. ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो या दण्डित किया गया हो।
5. ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाए।

मध्यस्थता हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 08.08.2025 से 18.08.2025 तक रजिस्टर्ड डाक, ई-मेल **dlsafirozabad@gmail.com** व **dcfir@allahabadhighcourt.in** अथवा सीधे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में जमा कर सकते हैं। उक्त आवेदन की **मूल प्रति (Hard Copy) दिनांक 18.08.2025** तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए। इसके उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद के कार्यालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। यदि अधिवक्ता आवेदन करते हैं, तो उन्हें संबंधित जनपद के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/मंत्री द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र तथा बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

नोट- मध्यस्थों हेतु चयन समिति द्वारा साक्षात्कार दिनांक 19-08-2025 को जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के मीटिंग हॉल में लिया जायेगा।

दिनांक: 08.08.2025

8/8/25
प्रभारी सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
फिरोजाबाद

प्रतिलिपि:

1. ओ.एस.डी. कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (जे.) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
2. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, फिरोजाबाद माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग को जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन फिरोजाबाद को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, फिरोजाबाद —— स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रवेश द्वार पर चस्पा हेतु।

मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र

(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद)
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम- ....

2. पिता/पति का नाम- .... स्व प्रमाणित फोटो

3. पता- ....

   ....

4. मोबाइल संख्या- ....

5. ई-मेल आईडी- ....

6. शैक्षणिक अर्हताएँ- ....

7. व्यवसायिक अर्हताएँ एवं अनुभव-..

8. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो-..

9. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो-................................

10. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक...

    (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)..

11. क्या आपके के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है ?

12. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है?

13. क्या आपको दिवालिया न्यायानिर्णीत किया गया है या विकृतिचित्त का होना घोषित किया गया है?

14. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी है, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

मैं.....................................एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं.................................... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थ नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथाविहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं भारत के उच्चतम् न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथाविहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक-

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर